

**उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य
कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1979)

**THE UTTAR PRADESH TRAINING COLLEGES
(PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND
OTHER EMPLOYEES) ACT, 1978**

(U.P. Act No. 4 of 1979)

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के
वेतन का भुगतान अधिनियम, 1978¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1979]

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 12 जनवरी, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 19 जनवरी, 1979 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त

2-इस अधिनियम में-

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को "लाइसेंसियेट इन टीचिंग" में प्रशिक्षण देता हो, और जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान मिल रहा हो;

(ख) "उपनिदेशक" का तात्पर्य सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उपनिदेशक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ग) किसी महाविद्यालय के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर शिक्षक कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दिया जाता हो;

(घ) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के समुपयुक्त अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(ङ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(च) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के योग से है जिसके अन्तर्गत महंगाई या कोई अन्य भत्ता भी है;

(छ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'अध्यापक' का तात्पर्य उस अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिया जा रहा था।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

3—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन, उस मास के जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, आगामी मास के बीसवें दिन की या उसके पूर्व ऐसे दिन की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) वेतन का भुगतान, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रकार की कटौती, सिवाय उन कटौतियों के जो राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किये बिना, किया जायेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अनुसार किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धतंत्र की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं किया जाता है, वहां उप निदेशक इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा में उल्लिखित दिनांक से उस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतन मान की, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, न्यूनतम दर पर, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखों में जमा धन से कर सकता है या करा सकता है, और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन, तत्पश्चात् यथाशीघ्र किया जायेगा।

4—(1) उपनिदेशक, किसी समय इस अधिनियम के प्रयोजको के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही और वाउचर भी हैं) जिन्हे वह उचित समझे, मांग सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का, जिन्हे वह उचित समझे, अनुपालन करने के लिये कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने या किसी अपव्यय के निषेध का कोई निदेश भी है) दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी का प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिया जायेगा और उसमें ऐसा आगामी दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से ऐसी छंटनी प्रवर्तनीय होगी।

(3) जहां छंटनी करने के लिये उपधारा (1) और (2) के अनुसार कोई निदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध अध्यापक या कर्मचारी ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से, अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ, महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी नहीं रह जायेगा।

5—(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा (जिसे आगे "वेतन भुगतान लेखा" कहा गया है) जो प्रबन्धतंत्र के एक प्रतिनिधि और उपनिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उपनिदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, संयुक्त रूप से चलाया जायगा:

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

निरीक्षण करने तथा निदेश जारी करने की शक्ति

वेतन भुगतान की प्रक्रिया

परन्तु वेतन भुगतान लेखा खोल दिये जाने के पश्चात् उपनिदेशक, यदि उसका, धारा 12 के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे को अकेले प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है:

परन्तु यह और कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट स्थिति में या ऐसी किसी अन्य स्थिति में जहां प्रबन्धतंत्र को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, उपनिदेशक, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि वेतन भुगतान लेखे को अकेले स्वयं उसके या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा चलाया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की, या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का भी, यदि कोई हो, ऐसा भाग जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, वेतन भुगतान लेखे में उस आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक जमा करेगा और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिये आबद्ध होगा।

(3) जहां उपनिदेशक की राय हो कि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) या उसके अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस जमा करने में विफल रहा है, वहां उपनिदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त उपनिदेशक फीस को (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकता है और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन भुगतान लेखे में जमा करेगा।

(4) राज्य सरकार भी वेतन भुगतान लेखे में अनुरक्षण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि जमा करेगी जो उपधारा (2) और (3) के अधीन जमा की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (5) के अनुसार भुगतान करने के लिये आवश्यक हो।

(5) वेतन भुगतान लेखे में जमा किसी धन का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात:-

(क) महाविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी अवधि के लिये देय होने वाले वेतन का भुगतान के लिये;

(ख) महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिये।

(6) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान वेतन भुगतान लेखे से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उस बैंक में उसका कोई लेखा न हो; तो चेक द्वारा किया जायेगा।

(7) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के निर्देश किसी डाक घर बचत बैंक के निर्देश समझे जायेंगे।

6—(1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय हो।

वेतन के संबंध
में दायित्व

(2) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उस पर उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व हो, उस महाविद्यालय की या उसमें निहित सम्पत्ति के आय की कुर्की करके वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू राजस्व की कोई बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के किसी ऐसे देय के लिये महाविद्यालय के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायगा।

7—कोई महाविद्यालय शिक्षा निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे निदेशक इस निमित्त व्यक्त करे, पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का कोई नया पद सृजित नहीं करेगा।

पदों का
अनुमोदन

8—(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाय तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम किये जाने के समय प्रबन्धक या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें महाविद्यालय का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे व्यतिक्रम को रोकने के लिये सभी सम्यक सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने की स्थिति में, जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और किसी अन्य व्यतिक्रम की स्थिति में कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

दण्ड शास्ति
और प्रक्रिया

(2) कोई न्यायालय उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(4) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

9—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

आदेशों का
अन्तिम होना

10—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सद्भावपूर्वक
किये गये कार्य
का संरक्षण

11—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

कठिनाइयां दूर
करने की
शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समझ रखा जायगा।

12—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सकती है।

नियम बनाने
की शक्ति

उद्देश्य और कारण

आम शिकायत है कि गैर सरकारी, सहायता प्राप्त आई0टी0 कालेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे कि उन कर्मचारियों को कठिनाई होती है। प्रस्तुत विधेयक में उक्त कर्मचारियों को वेतन का नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का प्राविधान किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 पुरःस्थापित किया जाता है।